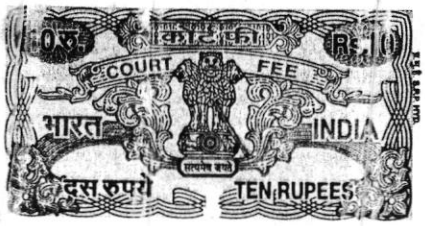

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs. 10

134

इ/पुनर्स्थापन/टीकमगढ/भू.रा./2017/4013

न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 मुख्यालय ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 (रेस्टो.)

दिनांक 26.10.17 को श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत।
26.10.17
SO
पेशी हेतु 9.11.17

GOVT. OF INDIA NOTARY

Noted 07/11/17

श्रीमती कुसुम कुशवाह पत्नि श्री नन्हेलाल कुशवाह निवासी भेलसी थाना तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ म0प्र0

--- आवेदिका

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार बल्देवगढ, जिला टीकमगढ म0प्र0

--- अनावेदक

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू राजस्व सहिता एवम सहपठित आदेश 9 नियम 13 सीपीसी वास्ते माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1037/द्वितीय/2013 व उनवान घनश्याम एवम अन्य बनाम म0प्र0 शासन मे पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 24-10-2016 को अपास्त कर आवेदिका को प्रकरण मे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर किये जाने बावत।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से प्रार्थनापत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है-

1- यहकि, आवेदिका एवम एक अन्य आवेदक घनश्याम द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सहिता के तहत प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण कमांक 1037/द्वितीय/2013 व उनवान घनश्याम एवम अन्य बनाम म0प्र0 शासन था।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक / पुर्नास्थापन / टीकमगढ / भूरा / 2017 / 4013

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
20–8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री योगेश पारासर उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह रेस्टो0 आवेदन अन्तर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता एवं सहपठित आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा प्रकरण में धारा–48 का आवेदन प्रस्तुत किया था इसकी आपत्ति शासन के पैनल अधिवक्ता श्री योगेश पारासार द्वारा की गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 9.8.18 को सत्यप्रतिलिपि प्रदाय की गई जो दिनांक 3.8.17 को अधिवक्ता को प्राप्त हो चुकी थी, उसके बाद भी अधिवक्ता द्वारा आदेश की सत्यप्रतिलिपि इतने विलंब से प्रस्तुत की गई है। 3–मूल प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 6.3.13 को प्राप्त हुई थी और उसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 9.4.13 को पेशी नियत की गई थी लेकिन दिनांक 9.4.13 से दिनांक 24.10.16 तक प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुआ है। दिनांक 24.10.16 को यानी लगभग 3 वर्ष 6 माह तक आवेदक अधिवक्ता और आवेदक ने इस प्रकरण में कोई रूचि	

नहीं ली गई न्यायालय द्वारा 13 पेशियां लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं होने से रूचि के अभाव में प्रकरण समाप्त किया गया है।

4–प्रकरण समाप्त होने के पश्चात दिनांक 26.10.17 को रेस्टोरेशन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। रेस्टोरेशन में दिनांक 9.11.17 को पेशी नियत की गई और 9.11.17 से दिनांक 16.1.18 तक रेस्टो0 में भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 6.3.18, 4.4.18, 31.5.18 की पेशी नियत की गई। दिनांक 9.8.18 को प्रकरण में तर्क हुये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा रेस्टो0 आवेदन में प्रस्तुत धारा–5 के आवेदन में जो तथ्य दर्शित किये है वह समाधानकारक प्रतीत नहीं होते है। आवेदक द्वारा मूल प्रकरण की जानकारी 3 वर्ष 6 माह तक अपने अतिधवक्ता से नहीं ली गई, और प्रकरण रूचि के अभाव में समाप्त किया गया है। अतः तत्कालीन सदस्य द्वारा दिनांक 24.10.16 निगरानी प्रकरण कमांक 1037–द्वितीय/2013 में आदेश पारित किया है, उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः रेस्टो0 आवेदन ग्राह्य योग्य नहीं है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत रेस्टो0 आवेदन ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह किया जाता है। पक्षकार सूचति हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। इस न्यायालय का प्रकरण संचय हेतु राजस्व मण्डल/अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य